

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/बी0सी0/बी0पी0-V-572/9013(क)/26

दिनांक: 24/1/08

सेवामें,

M/s Grand Slam Developers Pvt. Ltd.

डी-5, लाजपत नगर-II

नई दिल्ली -110024

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.08 के संदर्भ में आप द्वारा संशोधन सहित प्रस्तावित संस्थागत भवन निर्माण की प्लान संख्या-ए-40, सेक्टर-62, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय माँगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
6. विजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा (भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्त पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र कीच वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा। स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में न लायें।
15. स्थल पर निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों एवं समय-समय पर संशोधनों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन अनापत्ति

प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तथा यह स्वीकृति मात्र पर्यावरण सम्बन्धित आनापत्ति प्रा-
करने हेतु ही अनुमन्य होगी, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व यदि स्थल पर किसी प्रकार का कोई निर्माण का
आरम्भ कराया जाता है तो स्वीकृति को निरस्त माना जायेगा एवं नोएडा भवन विनियमावली के अनुसार कार्यवाही
जायेगी।

- 16 भवन निर्माण के समय आंवटी द्वारा अग्निशमन विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र एन.बी.सी. भवन विनियमावली नोएडा के
प्राविधानों के अनुसार अग्निशमन हेतु प्राविधान किया जाना होगा।

भूखण्ड का क्षेत्रफल 20000.00 वर्ग मीटर
अनुमन्य भूआच्छादन 30% 6000.00 वर्ग मीटर
अनुमन्य एफ.ए.आर. 200% 40000.00 वर्ग मीटर

	अनुमन्य	प्रस्तावित
स्टिल्ट	6000.00 वर्ग मीटर	342.01 वर्ग मीटर
भूतल	6000.00 वर्ग मीटर	4306.46 वर्ग मीटर
प्रथम तल	6000.00 वर्ग मीटर	4463.80 वर्ग मीटर
द्वितीय तल	6000.00 वर्ग मीटर	4463.80 वर्ग मीटर
तृतीय तल	6000.00 वर्ग मीटर	4463.80 वर्ग मीटर
चतुर्थ तल	6000.00 वर्ग मीटर	3027.30 वर्ग मीटर
पंचम तल	6000.00 वर्ग मीटर	3027.30 वर्ग मीटर
छठा तल	4000.00 वर्ग मीटर	3027.30 वर्ग मीटर
सातवा तल	-	3027.30 वर्ग मीटर
आठवा तल	-	2582.49 वर्ग मीटर
नवा तल	-	1914.29 वर्ग मीटर
दसवा तल	-	1170.09 वर्ग मीटर
गहरवा तल	-	1170.09 वर्ग मीटर
बारहवा तल	-	871.08 वर्ग मीटर
तेरहवा तल	-	871.08 वर्ग मीटर
चौदहवा तल	-	545.83 वर्ग मीटर
पंद्रहवा तल	-	220.50 वर्ग मीटर
कुल	40000.00 वर्ग मीटर	39494.60 वर्ग मीटर

बेसमेंट-I 14432.00 वर्ग मीटर 11608.54 वर्ग मीटर
बेसमेंट-II 14432.00 वर्ग मीटर 9325.31 वर्ग मीटर
स्टिल्ट 6000.00 वर्ग मीटर 4283.20 वर्ग मीटर

सैट बैंक
अग्र 20.00 मीटर 25.00 मीटर
पृष्ठ 9.00 मीटर 11.00 मीटर
दायी तरफ 9.00 मीटर 11.00 मीटर
बायी तरफ 9.00 मीटर 11.00 मीटर

प्रतिलिपि:

महा प्रबन्धक () को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

For the proposed Building is ...
... for approval please

For the proposed Building is ...
... for approval please

नाम
पद राजपाल कौशिक
नोएडा वास्तुविद नियोजक
नोएडा